



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

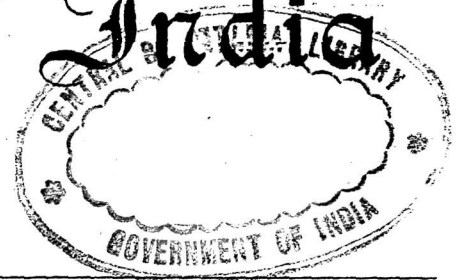
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]
No. 235]नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2003/फाल्गुन 21, 1924
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2003/PHALGUNA 21, 1924वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2003

का.आ. 279(अ).—आयकर अधिनियम की धारा, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा यह निर्देश देता है कि :—

- (क) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट उपर्युक्त अधिनियम की धारा 92 सी ए की व्याख्या में संदर्भित अन्तरण मूल्य-निर्धारण अधिकारी इस तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयकर निदेशक के अधीनस्थ होंगे,
- (ख) कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयकर निदेशक निम्न तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर महानिदेशक के अधीन होंगे।

तालिका

क्रम सं.	मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक	आयुक्त/आयकर निदेशक	अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आयकर महानिदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान)	आयकर निदेशक (अन्तरण मूल्य निर्धारण), दिल्ली	संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), दिल्ली संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), दिल्ली
2.		आयकर निदेशक (अन्तरण मूल्य निर्धारण), मुंबई	संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), मुंबई संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), मुंबई
3.		आयकर निदेशक (अन्तरण मूल्य निर्धारण), बंगलौर	संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), बंगलौर संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), बंगलौर
4.		आयकर निदेशक (अन्तरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता	संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), कोलकाता

(1)	(2)	(3)	(4)
			संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), कोलकाता
5.	आयकर महानिदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान)	आयकर निदेशक (अन्तरण मूल्य निर्धारण), चेन्नई	संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I); चेन्नई
			संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), चेन्नई

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या 50/2003/फा. सं. 500/18/2002-विदेश कर प्रभाग]

देवेन्द्र शंकर, निदेशक (एफ.टी.डी.)